

सहायक कलेक्टर
अजमेर

18/11/24 भाण पत्रावली पेश हुई। वकालत उपर। साक्षी
वकील ने अप्रासंगिक शेष की वकाली हेतु वकालत
पेश नहीं की। साक्षी वकील को अप्रासंगिक शेष की
वकाली शेष वकालत पेश करने हेतु साक्षात्
में कई अवसर दिये गये लेकिन साक्षी
ने अप्रासंगिक शेष की वकाली हेतु वकालत पेश
नहीं की। अतः साक्षी का मामला पट 219 RTA
09 DSCPC के तहत अदम वकील में स्थान
किमा जाया है। पत्रावली फेराल वृत्त हाकर
नम्बर से कम होकर वृत्त वाट के साथ संबन्ध
हो। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
अजमेर

सहायक कलेक्टर
अजमेर